आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N. 05/12/12-18

आदेश

विविध वाद संख्या– 31/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

भरत प्रसाद सिंह वगैरह .... प्रथम पक्ष

बनाम

अनील चौधरी वगैरह ....द्वितीय पक्ष

20.11.2018

यह प्रक्रिया आवेदक 1. भरत प्रसाद सिंह पिता–स्व0 राज किशोर प्रसाद सिंह, 2. बचेश्वर प्रसाद सिंह पिता–स्व0 जगदिश्वर प्रसाद सिंह, 3. शांति भूषण कुमार मंगलम, पिता–स्व0 रविन्द्र कुमार सिंह सभी ग्राम + पो0– नामुदाग, थाना–नौडीहा बाजार, जिला–पलामू ने 1. अनील चौधरी पिता– स्व0 रामस्वरूप चौधरी, 2. अवधेश चौधरी पिता–स्व0 प्रसाद चौधरी सभी ग्राम–नामुदाग, टोला–पीपरपांती, पो0–नामुदाग, थाना– नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र के अवलोकन एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने से संतुष्ट होकर विवादी भूमि पर धारा –

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के सहित
1	2	
	144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को सूचना निर्गत करते हुए वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारन पृच्छा की मांग की गयी। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:— मौजा— नामुदाग, खाता सं0— 2, प्लॉट सं0— 1142, रकबा— 5.40 एकड़, चौहद्दी, उतर— रोड, दक्षिण— धानुक ठाकुर एवं रामधनी कहार, पूरब— टोंगरा, पश्चिम— प्लॉट सं0— 1142 का अंश भाग। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि खाता सं0— 2, प्लॉट सं0— 1142, रकबा— 10.80 एकड़ अन्य भूमि के साथ विगत सर्वे में बकास्त के रूप में खेवटदार बाबू परमेश्वर दयाल सिंह थे। ग्राम— नामुदाग के सभी खेवटदारों के बीच उनके संबंधित खेवट की सभी भूमि का बटवारा करने के लिये बाबू विशेश्वर दयाल सिंह ने बाबू परमेश्वर दयाल सिंह एवं अन्य के विरूद्ध स्पेशल सबजज, पलामू के न्यायालय में बंटवारा वाद सं0—50/1918 दाखिल किये जिसमें बाबू परमेश्वर दयाल सिंह	

(3)

...की कम ...या और ...तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पिता— शालिग्राम सिंह, बाबू चंद्रिका दयाल सिंह, बाबू भागवत दयाल सिंह, बाबू लाल बहादुर सिंह एवं बाबू हीरा नंदन सिंह सभी के पिता— स्व0 नागेश्वर दयाल सिंह प्रतिवादी सं0— 1 एवं 5 थे। प्रतिवादी सं0— 1 एवं 5 में एक संयुक्त तख्ता लगा जिसमें अन्य भूमि के साथ खाता सं0— 2, प्लॉट सं0— 1142, रकबा— 10.80 एकड़ ग्राम— नामुदाग के भूमि में सम्मिलित है। उक्त तख्ता वाली भूमि बाबू परमेश्वर दयाल सिंह का आधा हिस्सा था, जबकी बाबू नागेश्वर दयाल सिंह के चारो पुत्रों का हिस्सा था। कलांतर में एक पुत्र बाबू हीरा नंदन सिंह नावल्द मर गये इसलिए उक्त तख्ता के आधा हिस्से का भूमि तीन भाईयों का रहा। बाबू परमेश्वर दयाल सिंह को खाता सं0— 2, प्लॉट सं0—1142, रकबा— 10.80 एकड़ भूमि में से आधा हिस्सा 5.40 एकड़ भूमि हुआ, जिसपर हक दखल— कब्जा में रहे तथा उनके मरनोपरांत उक्त भूमि उतराधिकार में उनके एक मात्र पुत्र रामेश्वर दयाल सिंह का हो गया और वे जमीन्दारी उन्नमूलन के समय जिवित थे तथा उनके स्व0 पिता— परमेश्वर दयाल सिंह जमीन्दारी जाने के वर्षों पूर्व मर चुके थे इसलिए बाबू रामेश्वर दयाल सिंह भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6 एवं	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	7 के प्रावधान के अंतर्गत उक्त भूमि का माल निर्धारण ए0आर0केस नं0– 75/1963–64 के माध्यम से अपने नाम से करवाया और इस माल निर्धारण के आधार पर उनके नाम पर एम0 फार्म निर्गत हुआ और उसके आधार पर उनके नाम से जमाबंदी कायम हुआ और इस प्रकार सरकार को मालगुजारी देकर वे अपने 5.40 एकड़ भूमि पर अपने जीवनकाल तक उपयोग करते रहे। उक्त भूमि में से 2.35 एकड़ भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से बिकि कर दिये। बिकि के बाद शेष भूमि 3.05 एकड़ उनके एक मात्र पुत्र जनेश्वर प्रसाद सिंह को प्राप्त हुआ तथा उनके मरने के उपरांत उनके दो पुत्रों को उतराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ। दोनो भाईयों ने अपने 3.05 एकड़ भूमि में से 1.33 1/2 एकड़ भूमि श्रीमती सुशिला देवी एवं अन्य को बिकि कर दिये। शेष बची 1.71 1/2 एकड़ भूमि अभी भी इन दोनो भाईयों के हक दखल– कब्जा में है। खाता सं0– 2, प्लॉट सं0– 1142 कुल रकबा– 10.80 एकड़ में से आधा भूमि 5.40 एकड़ कमशः चंद्रिका दयाल सिंह, भागवत दयाल सिंह, लाल बहादुर सिंह के स्वामित्व एवं दखल– कबजा में रहा। चंद्रिका दयाल सिंह अपने पिछे एक मात्र पुत्र तपेश्वरी प्रसाद सिंह को छोड़कर

(4)

[आदेश] की क्रम [संख]्या और [त]ारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर [की गई] कार्रवाई के [बारे में] टिप्पणी ता[रीख] सहित
1	2	3
	मर गये। जमीन्दारी उन्नमूलन के समय उक्त 5.40 एकड़ भूमि का माल निर्धारण बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत माल निर्धारण वाद सं0– 77/1963–64 के माध्यम से बाबू भागवत दयाल सिंह, लाल बहादुर सिंह एवं तपेश्वरी प्रसाद सिंह के नाम से हो गया। तपेश्वरी प्रसाद सिंह अपने पिछे तीन पुत्र मथुरा प्रसाद सिंह, रामनरेश प्रसाद सिंह, रविन्द्र कुमार सिंह को छोड़कर मर गये। मथुरा प्रसाद सिंह अपने पिछे दो पुत्र अखिलेश प्रसाद सिंह एवं राकेश रंजन सिंह उर्फ मिथलेश प्रसाद सिंह को छोड़ कर मर गये। रविन्द्र कुमार सिंह अपने पिछे तीन पुत्र शान्ति भूषण कुमार मंगलम, अंजनी कुमार बलवंता एवं आशुतोष कुमार गर्ग को छोड़कर मर गये। ज्ञात हो प्रतिमा देवी अपने माता पिता के भूमि में कोई हिस्सा नहीं लिया। चंद्रिका दयाल सिंह के दुसरे भाई भागवत दयाल सिंह अपने पिछे एक मात्र पुत्र जगदिश्वर प्रसाद सिंह को छोड़कर मरे और जगदिश्वर प्रसाद सिंह भी अपने पिछे दो पुत्र ललिन्द कुमार सिंह एवं बचेश्वर प्रसाद सिंह को छोड़कर मर गये। ललिन्द्र कुमार सिंह भी अपने पिछे दो पुत्र अनुज कुमार सिंह एवं अभिषेक रंजन को छोड़ कर मर गये। चंद्रिका दयाल	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे… कार्रवा… टिप्पणी… सहित
1	2	

सिंह के तीसरे भाई लाल बहादुर सिंह अपने पिछे एक मात्र पुत्र राजकिशोर प्रसाद सिंह को छोड़कर मर गये तथा राजकिशोर प्रसाद सिंह भी अपने पिछे चार पुत्र बृजमोहन प्रसाद सिंह, भरत प्रसाद सिंह (आवेदक), गोपाल प्रसाद सिंह एवं सुनिल कुमार को छोड़कर मर गये। राजकिशोर प्रसाद सिंह के प्रथम पुत्र बृजमोहन प्रसाद सिंह भी अपने पिछे एक मात्र पुत्र अशोक कुमार सिंह को छोड़कर मर गये। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खाता सं0— 2, प्लॉट सं0— 1142, रकबा— 5.40 भूमि ग्राम— नामुदाग पर चंद्रिका दयाल सिंह एवं उनके भाईयों के संबंधित जीवित अतराधिकारियों के स्वामित्व एवं दखल— कब्जा में है तथा सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। आगे कहना है कि रामस्वरूप चौधरी पिता— स्व0 प्रसाद पासी, ग्राम— नामुदाग ने तत्कालीन हल्का कर्मचारी को मेल में लेकर बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के उक्त खाता प्लॉट में कुल 10.80 एकड़ ग्राम— नामुदाग का मांग पजी II में अपने दादा संतु पासी के नाम पर मांग संधारित करा लिया गया है जब यह बात प्रथम पक्ष को पता चला तब प्रथम पक्ष के लोगों ने अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार को इस आशय

(5)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	का आवेदन पत्र दिया कि संतु पासी पिता– अलियार पासी के नाम से बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के खाता सं0– 2, प्लॉट सं0– 1142, रकबा– 10.80 एकड़ ग्राम– नामुदाग के भूमि का अवैध जमाबंदी कर दिया गया है जिसे रद् किया जाय। अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार ने अपने पत्रांक 266 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा उक्त जमाबंदी को बंद करने का आदेश दिया, जिसके आलोक मे संतु पासी के नाम से चल रहे जमाबंदी को बंद कर दिया गया है। परंतु पुनः लिपिकीय भूल या राजस्व कर्मचारी ने जान बुझकर जमाबंदी संबंधी ऑनलाईन प्रकाशन करते वक्त दिनांक 16.08.2018 को उपरोक्त खाता प्लॉट का ऑनलाईन प्राशन कर दिया। जिसके विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, पलामू के न्यायालय में वाद दायर किया गया। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा मे उल्लेख किया गया सभी बात बेबुनियाद है क्योंकी जब नागेश्वर दयाल सिंह साबिक सर्वे से पूर्व मृत हो गये थे तो नागेश्वर दयाल सिंह के द्वारा बंदोबस्ती करने की बात बिल्कुल निराधार है अगर नागेश्वर दयाल सिंह दिनांक 03.02.1930 को जीवित होते तो बंटवारा वाद सं0– 50/1918 में पक्षकार	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	होते, इससे स्पष्ट होता है कि नागेश्वर दयाल सिंह का साबिक सर्वे (वर्ष 1908) से पूर्व मृत्यु हो गया था, तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्णन किया गया क्षतिपूर्ति की संख्या 3349 सन् 1953—54 का रिर्टन जाली एवं अविश्वनीय है। इस प्राकर का कोई रिर्टन भूतपूर्व जमीन्दार परमेश्वर दयाल सिंह एवं चंद्रिका दयाल सिंह के वंशज रामेश्वर दयाल सिंह के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है।
	द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा— नामुदाग के खाता सं0— 2, प्लॉट सं0— 1142 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष का 10.80 एकड़ भूमि अवस्थित है, जिसपर द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के समय से एवं जमीन्दारी के समय से जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात आज तक शांति पूर्वक जोत— कोड़ एवं दखल— कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त प्लॉट में द्वितीय पक्ष के द्वारा बनाया गया पुस्तैनी मकान है जिसमें द्वितीय पक्ष एवं उनके गोतिया भी निवास करते हैं। प्रश्नगत खाता प्लॉट के अंतर्गत 10.80 एकड़ भूमि स्व0 संतु पासी वल्द अलियार पासी को भूतपूर्व जमीन्दार नामुदाग स्टेट नागेश्वर दयाल सिंह, प्रमेश्वर दयाल सिंह

(6)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	एवं चंद्रिका दयाल सिंह के द्वारा दिनांक 03.02.1930 को बन्दोबस्ती से प्राप्त है। वाद भूमि उक्त भूमि का अंश भाग है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात संतु पासी को बिहार सरकार द्वारा रैयत करार करते हुए प्रश्नगत खाता, प्लॉट, रकबा– 10.80 एकड़ का सरकारी लगान रसीद आज तक कटती चली आ रही है। आगे कहना है कि प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के पारा चार में पार्टीसन सूट सं0– 50/1918 का जिक किया गया है जिसमे द्वितीय पक्ष पक्षकार नहीं है। द्वितीय पक्ष के पूर्वज संतु पासी के नाम से भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा सन् 1930 में उक्त खाता प्लॉट से 10.80 एकड़ भूमि बंदोबस्त किया गया है, इसलिए पार्टीसन सूट का वर्णन करना अनावश्यक है। भूतपूर्व जमीन्दार के नाम से ए0आर0 केस नं0– 75/63–64 में माल बांधा गया उसमें द्वितीय पक्ष के पूर्वज को पार्टी नहीं बनाया गया है, इसलिए ए0आर0 केस नं0– 75/63–64 का फैसला नियमानुकुल नहीं है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का–	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ... का टि... स...
1	2	
	अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतित होता है कि प्रथम पक्ष का दावा ठोस दस्तावेजों पर आधारित है। अतः प्रकिया अंतर्गत निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निर्पेक्ष किया जाता है। साथ ही धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 20.11.18 20.11.18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.30 15:42:42 +05:30
Location: 192.168.238.105